

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 13 नवंबर, 2019

शुद्धिपत्र

का.आ. वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) संख्या 40/2009 में फा.सं. 203/19/2009/आईटीए-II दिनांक 28 अप्रैल, 2009 में दिनांक 09 मई, 2009 की का.आ. संख्या 1202 द्वारा भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना में।

(i) पैराग्राफ-1 में

अनुमोदित संगठन "डायबेटिज रिसर्च सेंटर फाउंडेशन, चैन्नई" के नाम को दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से "प्रो.एम विश्वनाथन डायबेटिज रिसर्च सेंटर, चैन्नई" पढ़ा जाएगा।

(राजाराजेश्वरी आर)

अवर सचिव भारत सरकार

(अधिसूचना सं. ११/2019

(फा. सं. 203/19/2009/आईटीए-II)

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. मैसर्स प्रो.एम विश्वनाथन डायबेटिज रिसर्च सेंटर, चैन्नई।
2. सीसीआईटी(ई), नई दिल्ली
3. सीआईटी(ई), चैन्नई
4. वेब मैनेजर, नई दिल्ली को वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर डालने के लिए
5. आईटीसीसी, सीबीडीटी (4 प्रतियां)
6. संबंधित फाइल
7. गार्ड फाइल।

राजाराजेश्वरी
(राजाराजेश्वरी आर)

अवर सचिव भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 40/2009 दिनांक 28 अप्रैल, 2009 को 09 मई, 2009 की का.आ.सं. 1202 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड-(ii) में प्रकाशित किया गया था।